राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग0 236–पीबीआर/15 जिला धार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13–5–2015	आवेदकगण की ओर से श्री राजेश वर्मा अभिभाषक उपस्थित । उनके द्वारा ग्राह्यता पर तर्क प्रस्तुत किये गये । उनका तर्क है कि उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 28.7.2014 के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष अपील दिनांक 20.10.2014 को प्रस्तुत की गई है । अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत करने हेतु 45 दिवस की समय सीमा निर्धारित है । इस प्रकार अपर आयुक्त के समक्ष केवल 22 दिवस विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई थी, और अवधि विधान की धारा 5 के अंतर्गत विलम्ब क्षमा हेतु कारण सहित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, परंतु अपर आयुक्त द्वारा उक्त अल्प विलम्ब क्षमा नहीं करने में अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है । तर्क के समर्थन में 2012 (1) एम0पी0डब्लू0एन0 78 का न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किया गया । 2/ अपर आयुक्त के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त द्वारा यह निष्कर्ष निकालते हुए कि अवधि विधान की धारा 5 में ऐसा कोई तथ्य उल्लिखित नहीं है, जिसके आधार पर विलम्ब क्षमा किया जा सके, अपील अवधि बाह्य होने से निरस्त की गई है, परंतु यह नहीं दर्शाया गया है कि क्योंकर ओवदक की ओर से प्रस्तुत	

विलम्ब का कारण समाधानकारक नहीं है । सामान्यतः प्रकरण का निराकरण समय सीमा जैसे तकनीकी बिन्दु पर नहीं किया जाकर गुणदोष पर किया जाना चाहिए, जब तक कि प्रकरण में असाधारण विलम्ब न हुआ हो । इसके अतिरिक्त आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टांत 2012(1) एम0पी0डब्लू0एन0 78 **सालिकराम विरूद्ध केशव** में माननीय उच्च न्यायालय **द्वारा** निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :-

" धारा 5- अपील फाईल करने में विलम्ब की माफी-यदि विलम्ब का कुछ कारण दर्शाया हो- न्यायालय को इसे स्वीकार करना चाहिए- अपील खारिज नहीं की जाना चाहिए ।"

अतः उपरोक्त विश्लेषण एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्त के प्रकाश में अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत अपील समय सीमा में मान्य की जाती है । प्रकरण गुणदोष पर निराकरण हेतु अपर आयुक्त को प्रत्यावर्तित किया जाता है । यह निगरानी इसी स्तर पर समाप्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष

10/-

श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल, ग्वालियर (कैम्प - इन्दौर)

के समक्ष निगरानी 236-PBR-15

पुनरीक्षण याचिका क्र०   /२०१५

प्रस्तुति दिनांक : १२/०१/२०१५

960/12-01-2015

१- बालाराम पिता गंगाराम कुलमी
आयु ४५ वर्ष, धन्धा खेती
निवासी ग्राम दसई, तहसील सरदारपुर
जिला धार

२- रामूबाई पिता गंगाराम कुलमी
आयु ४५ वर्ष, धन्धा खेती
निवासी - सदर -- पुनरीक्षणकर्ता

वि रु द्ध

शंकरलाल पिता गंगाराम कुलमी
आयु ४७ वर्ष, धन्धा खेती
निवासी ग्राम पलवाडा, तहसील बदनावर
जिला धार -- प्रत्यर्थी

पुनरीक्षण याचिका धारा ५० मध्यप्रदेश भूराजस्व संहिता के तहत

यह उपरोक्त ~~यह~~ पुनरीक्षण याचिका श्रीमान अपर आयुक्त महोदय (राजस्व न्यायालय) इन्दौर द्वारा पारित प्रकरण क्रमांक ४०/१४-१५/अपील में पारित आदेश दिनांक ११/११/२०१४ के आदेश से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत की जा रही है। आलोच्य आदेश के द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पुनरीक्षणकर्ता की अपील को अवधि में नहीं मानते हुए धारा ५ अवधि विधान का आवेदन निरस्त कर दिया गया।